भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1029

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

.....

बांधों की मरम्मत और पुनर्वास

1029. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री सैयद इम्तियाज़ ज़लील:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 7000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 18 राज्यों में 700 बड़े बांधों की मरम्मत और पुनर्वास हेतु एक योजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इसे पूरा करने के लिए निर्धारित की गई समयावधि क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप में इस परियोजना के लिए निधि प्रदान करने की सहमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन 700 बांधों के सुरक्षा और प्रचालन प्रदर्शन में कितना सुधार होने की संभावना है; और

(ङ) देश में विशेषकर मानसून के देरी से पहुंचने और सूखे की स्थिति के बाद देश भर में प्रमुख बांधों में जल राशि की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) जी, हां। मंत्रालय ने पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना (डीआरआईपी चरण-।। और ।।।) के लिए 2017 में राज्य सरकारों के साथ केन्द्रीय अभिकरणों से प्रस्ताव मंगाया था। 18 राज्यों और दो केन्द्रीय अभिकरणों ने 10212 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 687 बांधों को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आर्थिक कार्य विभाग की जांच समिति ने प्रस्ताव अनुमोदित किया है। विश्व बैंक ने एक बिलियन अमेरीकी डॉलर की बाह्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। 6 वर्ष की अवधि के प्रत्येक चरण और एक दूसरे पर दो वर्षों के ओवरलैप सहित दो चरणों में परियोजना को कार्यान्वित किया जाना है तथा कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2020-2030 तक है।

डीआरआईपी चरण-I और चरणा-II के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

i. सतत रूप में चयनित मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रचालन निष्पादन और संबद्ध संरचनाओं में सुधार करना,

ii. राज्यों के साथ-साथ केन्द्र स्तर पर भागीदारी में बांध सुरक्षा सांस्थनिक सेटअप का सुदृढ़ीकरण, और

iii. बांधों के सतत प्रचालन और अनुरक्षण के लिए सांयोगिक राजस्व अर्जन हेतु कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक सांयोगिक उपायों का अन्वेषण।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग देश के 91 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। दिनांक 20.06.2019 के अद्यतन बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों में सक्रिय भंडारण उपलब्धता 27.265 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जो कि इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 17% है। इन जलाशयों में सक्रिय भंडारण उपलब्धता पिछले वर्ष की उसी अवधि के सक्रिय भंडारण का 92% है और विगत 10 वर्षों के औसत का 93% सक्रिय भंडारण है।

*****